संख्या–561 /ix-1/2023-E-32663-02(04)2023

प्रेषक,

अरविन्द सिह ह्याँकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
परिवहन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2023**

विषयः सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/प्रतिष्ठानों/उपक्रमों के पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–40/टी0आर0/चार–17/2023, दिनांक 26.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24) के अन्तर्गत सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/प्रतिष्ठानों/उपक्रमों के 15 वर्ष पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु राज्य सरकारों के द्वारा योजना अंतर्गत विनिर्दिष्ट कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा जी0एस0आर0 653 (इ) दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के माध्यम से जारी मोटर यान (यान स्कैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा में 15 वर्ष या अधिक पुराने सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/प्रतिष्ठानों/उपक्रमों के वाहनों को राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित समय–सारिणी अनुसार स्क्रैप किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के उपरोक्त श्रेणी के वाहनों को स्कैप किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्य योजना/समय–सारिणी की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(1) स्क्रैप के लिए समय–सारिणी/प्रस्तावित वाहनों की संख्या–

(i)	नवम्बर 2023 तक	–	1200 वाहन
(ii)	दिसम्बर–जनवरी 2024	–	2500 वाहन
(iii)	फरवरी–मार्च 2024	–	2500 वाहन (वर्ष 2023–24 के दौरान स्क्रैप हेतु उपलब्ध अतिरिक्त वाहनों को सम्मिलित करते हुए)

(2) वाहनों का स्वामित्व धारण करने वाले अथवा उपयोक्ता विभागों/उपक्रमों का दायित्व होगा कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के ई–ऑक्शन पोर्टल से अपने वाहनों की समयबद्ध स्क्रैपिंग करायेंगे।

Scanned by CamScanner

(3) वाहनों का स्वामित्व धारण करने वाले अथवा उपयोक्ता विभाग / उपक्रम / स्थानीय निकाय इस आदेश के जारी होने के 01 सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार अपने--अपने वाहनों के स्क्रैपिंग की विभागीय समय सारिणी / टाइमलाइन परिवहन आयुक्त को प्रेषित करेंगे।

(4) सम्बन्धित विभाग / उपक्रम / स्थानीय निकाय रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के द्वारा स्क्रैप किए गए वाहनों के सम्बन्ध में जारी निक्षेप प्रमाण पत्र (Certificate of Deposit) की प्रति स्क्रैप किए गए वाहनों की सूची के साथ परिवहन आयुक्त को उपलब्ध करायेंगें।

(5) परिवहन आयुक्त स्क्रैप किए जा रहे वाहनों का प्रत्येक माह अनुश्रवण करते हुए मासिक विवरण शासन को प्रेषित करेंगे।

2. कृपया उक्त दिशा–निर्देशों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

<u>**संख्या–**</u> /ix-1/2023-02(04)2023, **<u>तद्दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि अपने प्रभाराधीन विभागों / स्थानीय निकायों / उपक्रमों में उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त / व्यय नियन्त्रण अनुभाग–2।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. मीडिया प्रभारी सचिवालय / मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

Scanned by CamScanner